


# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह विपक्षी शम्भु सिंह  
 किस्म मुकदमा 212 RT पत्रावली संख्या 66/22 सन     

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की र
	<p>99/14/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा. कायम</u>                      के लिखे मौका चाहते है। अतः <u>एउ</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>24/1/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p> <p><u>24/06/25</u>                      पत्रावली पेक्षा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधि. प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवजे हिलगई गई। समय सायं 5:00 PM हो चुके हैं। प्रार्थी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। प्रार्थी को वारिस कायमी हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता बाह के प्रति सजग नहीं हैं। आज भी प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।                      निर्णय खुले न्यायालय खुनाया गया।</p>	



सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली